संख्या- 28 / 2016/4153 /चार-2015- 135 (वि0)/2005 टीसी

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,

संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,

जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 15 फरवरी , 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आल इण्डिया कैफी आजमी गुरू द्वारा रोड पेपर मिल कालोनी , लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2103/सं0नि0-20(18)/06-07 , दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में आल इण्डिया कैफी आजमी गुरू द्वारा रोड पेपर मिल कालोनी , लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण हेतु 150.00 लाख (रूपये एक करोड पचास लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग कर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक /पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3 - उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, अन्य मदो अथवा व्यय की नई मदो पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

4 - उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक- 4202- शिक्षा, खेलकूद , कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय - आयोजनागत 04- कला तथा संस्कृति- 03-प्रेक्षागृह/खुला मंच का निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य से संक्रमण कर व्यय संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा तथा लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत -04- कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय -300- आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी,गुरूद्वारा रोड, पेपर मिल कालोनी, लखनऊ में कला केन्द्र का निर्माण -24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

5 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015दिनांक 30 मार्च,2015 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त (बी0एम0-9)

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

संख्या- 28 / 2016 / 4153 (1)/चार-2015तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम,/लेखा परीक्षा प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- सचिव, आल इण्डिया कैफी आजमी,राजाजीपुरम् लखनऊ ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6 - वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म-बी0एम0-09(भाग-1)

पुनर्विनियोग स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

अनुदान संख्या व नाम- 92- संस्कृति विभाग वित्तीय वर्ष 2015-16 प्रपत्र बी0एम0-09(भाग-1)

(धनराशि हजार रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
4202- शिक्षा, खेलकूद , कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय - आयोजनागत 04- कला तथा संस्कृति 03-प्रेक्षागृह/खुला मंच का निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य	30000	15000	15000	15000	15000
योग	30000	15000	15000	15000	15000

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात अनुदान/ विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
4202- शिक्षा, खेलकूद , कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय - आयोजनागत 04- कला तथा संस्कृति 800- अन्य व्यय 30- आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी,गुरूद्वारा रोड, पेपर मिल कालोनी, लखनऊ में कला केन्द्र का निर्माण 24 वृहद निर्माण कार्य	10000	40000	15000	15000	25000
योग	10000	40000	**15000**	15000	25000

(1) स्तम्भ में उपलब्ध बचत का कारण नियमानुसार- मिव्ययियता एवं आवश्यकतानुसार व्यय के उपरान्त बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ -8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- वास्तविक आंकलन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की मॉग की जा रही है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पर हेतु पुनर्विनियोग को स्वीकृत करने में बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उपलंघन नहीं होता है।

संख्या- **आर-ई-353 (1)/ई-7-/दस-2016**
दिनांक 08 फरवरी, 2016

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद।

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।
संस्कृति विभाग

अरूण कुमार दुबे
उप सचिव।
वित्त विभाग

संख्या- / 4153 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/